



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी-मार्च, 2017 सत्र

वर्ष 2017-2018 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

## कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या — 82, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 15, 83, 27,

मांग संख्या — 39, 56, 31, 50,

मांग संख्या — 18 तथा 43 से संबंधित

## भाग - चार

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण
1.	श्री केदार कश्यप	82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		33	आदिम जाति कल्याण
		41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना
		42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल
		49	अनुसूचित जाति कल्याण
		53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		64	अनुसूचित जाति उपयोजना
		66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
		68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
		15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		27	स्कूल शिक्षा
2.	श्री पुन्नूलाल मोहले	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय
		56	ग्रामोद्योग
		31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
		50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय
3.	श्री भईयालाल राजवाड़े	18	श्रम
		43	खेल और युवक कल्याण

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी—मार्च, 2017 सत्र में प्रस्तुत वर्ष 2017—2018 के आय—व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

देवेन्द्र वर्मा,  
प्रमुख सचिव.

वर्ष 2017–2018 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – चार में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
  2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
  3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
  4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
  5. डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी, सदस्य
  6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
  7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
  8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
  9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
  10. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
  11. श्री कवासी लखमा, सदस्य
  12. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
  13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
  14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
  15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
  16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
  17. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
  18. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य
  19. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य
  20. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
  21. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
  22. श्री उमेश पटेल, सदस्य
  23. श्री चुन्नीलाल साहू(अकलतरा), सदस्य
  24. श्री संतराम नेताम, सदस्य
  25. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
  26. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
  27. श्री दीपक बैज, सदस्य
  28. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
  29. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
  30. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
  31. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य
  32. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य
  33. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य
-

## मांग संख्या – 82

# अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 20,47,78,55,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

### 1. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

22 गांव के बैगा जनजाति को विस्थापित किये बिना एटीआर की सड़क बंद की जाना उचित नहीं है।

### 2. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पंचायत संवर्ग शिक्षकों को वेतन देने के नियम का उल्लेख नहीं है।
- (2) पंचायत संवर्ग शिक्षकों को सामान्य कार्य का समान वेतनमान देने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधायक आदर्श ग्राम में शासन के मापदंड के अनुसार विकास कार्य कराने के लिए राशि जारी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) मनरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में मटेरियल का भुगतान शासन ने नहीं किया भुगतान कब होगा इसका उल्लेख नहीं है।
- (5) मनरेगा के अन्तर्गत लंबित मजदूरी राशि के भुगतान का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत ग्रामीणों को सरलता से मटेरियल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (7) स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण की राशि का पूर्ण भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) जनपद पंचायत अध्यक्ष की निधि तथा सदस्यों की निधि सांसद / विधायक निधि की तरह जारी करने का उल्लेख नहीं है।
- (9) मरवाही विधान सभा क्षेत्र के गौरेला ब्लॉक के बस्ती बगरा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतें कब तक ऑनलाईन होंगी, इसका उल्लेख नहीं है।
- (10) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें कब तक ऑनलाईन होंगी इसका उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या – 33**  
**आदिम जाति कल्याण**

मतदेय राशि

रूपये 18,90,51,62,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25**

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु योजना का प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम पंचायत— करगीकला, बेलगेहना एवं केंदा में 100 बिस्तर कन्या छात्रावास स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र में छात्रावासों के निर्माण हेतु अधिक प्रावधान कर सभी छात्रावासों का भवन निर्माण किया जावे।
- (2) प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि समय पर भुगतान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रमों एवं छात्रावासों में सुरक्षा का प्रावधान नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विलुप्त आदिम जाति कल्याण के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के आदिवासी कन्या छात्रावासों में निवासरत् छात्राओं की सुरक्षा के उपायों का उल्लेख नहीं है।

7. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वनांचल क्षेत्रों के स्कूली शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के आदिवासी अंचलों में स्थित आवासीय विद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर चिकित्सा के अभाव में मौते हो रहीं हैं, रोकने का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्री-मैट्रिक 50 सीटर बालक छात्रावास चिपावण्ड के लिए भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) कोण्डागांव में आदिम जाति वर्ग के छात्रों खेल को बढ़ावा देने के लिए क्रीडा परिसर की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की आश्रम शालाओं की सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के संचालित छात्रावास /आश्रम के लिए समुचित व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम अरजपुरी में अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के लिए भवन निर्माण का प्रावधान नहीं है।

10. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास का उल्लेख नहीं है।
- (2) अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों को 1500 रूपये छात्रवृत्ति देने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान /अत्याचार निवारण का उल्लेख नहीं है।

12. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आदिवासी छात्रों को पुस्तक स्टेशनरी मुफ्त प्रदाय किये जाने का उल्लेख नहीं है।

13. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश की आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में पेयजल भवन आदि उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश की सभी आश्रम शालाओं में सुरक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बस्तर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या – 41**  
**अनुसूचित जनजाति उपयोजना**

मतदेय राशि

रूपये 1,43,58,51,49,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49**

**1. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नगरीय प्रशासन के विकास कार्य को जारी रखने के लिए उचित एवं अच्छी व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

**2. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पड़े डॉक्टर व स्टाफ के पद को भरने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मरवाही क्षेत्र के संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) मरवाही विधान सभा क्षेत्र में नई सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति देने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पुराने बांधों से शिल्ट निकालने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (5) पेण्ड्रा के ग्राम सरकारी पारा में प्रीमैट्रिक कन्या छात्रावास के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) मरवाही क्षेत्र के ग्राम मुरमुर में प्री-कन्या छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (7) मरवाही क्षेत्र के ग्राम कोजगार में प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) मरवाही क्षेत्र में दलहनी, तिलहनी रबी फसलों के क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख नहीं है।
- (9) सब्जी फसलों के विविधिकरण हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण में मरवाही क्षेत्र के टमाटर उत्पादन का उल्लेख नहीं है।
- (10) मरवाही क्षेत्र के ग्राम कटरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (11) मरवाही क्षेत्र के ग्राम गुडुम देवरी में कन्या आश्रम भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (12) मरवाही क्षेत्र के ग्राम अंडी में कन्या आश्रम भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (13) मरवाही क्षेत्र के ग्राम कटहमी में कन्या आश्रम भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (14) मरवाही क्षेत्र के ग्राम धावेतर में कन्या आश्रम भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (15) मरवाही क्षेत्र के ग्राम मसकुरा में कन्या आश्रम भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (16) मरवाही क्षेत्र के ग्राम वमाराड में कन्या आश्रम भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और  
पुल

मतदेय राशि

रूपये 15,47,39,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम मुक्तिपानी के आमा नाले पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम पडखुरी से किरना पहुंच मार्ग पर निपानी नदी पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

2. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धरमजयगढ़ बायपास रोड निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।



मांग संख्या – 49

अनुसूचित जनजाति कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 5,72,53,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

इस मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या – 53

अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 52,50,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

इस मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

## मांग संख्या-64

### अनुसूचित जाति उपयोजना

मतदेय राशि

रूपये 48,72,02,17,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 50

#### 1. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति बाहुल्य के ग्राम चंडी, भरेंगा, उल्बा, परसद्री, लमकेनी, झांकी, गातापार, नायकबांधा, गोतियारडीह, आमनेर, अकोलीकला, अकोलीखूर्द, लींगाडीह, में मंगलभवन या समरसता भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के आरंग, अकोली, लींगाडीह सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में सड़कों, आंतरिक मार्गों पर कांक्रीट सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को जोड़ने वाली सड़क भिलाई-अकोलीकला तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) अभनपुर क्षेत्र के ग्राम भरेंगा, दुलना, बेलर, ढोंढरा की पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

#### 2. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम लटकोनी से गौशाला पहुंच मार्ग का ग्राम गौरवपथ योजना से निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम अमरपुर से लटकोनी तक ग्राम गौरवपथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पेण्ड्रा-रतनपुर मुख्य मार्ग से ग्राम बसंतपुर तक ग्राम गौरवपथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पेण्ड्रा-रतनपुर मुख्य मार्ग से बकौलीपारा सड़क को ग्राम गौरवपथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) पेण्ड्रा-रतनपुर मुख्य मार्ग से ग्राम गिरारी कदम तक ग्राम गौरवपथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) मुख्य मार्ग पेण्ड्रा-मरवाही से ग्राम बंधी पहुंच मार्ग में ग्राम गौरवपथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम कोरजा में हाई स्कूल से कोलानपारा ग्राम गौरवपथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) कुदरी से पिपलामार सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (9) भांडी से कंचनडीह सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (10) सिवनी मुख्यमार्ग से कोदवाही मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (11) मुख्यमार्ग से राजडीह सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (12) नेवसा नवापारा से बांडीखार सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) झगराखाण्ड मुख्य मार्ग से बांधाटोला बांडीखार सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) सेमरदरी से बिलाईडांड मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (15) चनाडोंगरी से झिरिया टोला मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (16) तेन्दूमूड़ा से कछार सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (17) कछार से करहनिया सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (18) उसाड़ से समुदुलई सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (19) सिवनी मुख्यमार्ग से खुरपा तक सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (20) केसला से गोढ़ा मार्ग के घटिया स्तर निर्माण कार्य में कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

- (21) गोढ़ा से कुम्भीनाका तक निम्नस्तर के सड़क निर्माण में कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।
- (22) ग्राम दमदम से गोढ़ा पहुंच मार्ग में हुई अनियमितता पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
- (23) कोटमी से मड़ई पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (24) मरवाही मुख्य मार्ग से कोलविरा मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (25) परासी मुख्यमार्ग से मनौरा पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (26) बचरवार से कोटखर्रा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (27) सतोकपुर से पेण्ड्रा को पी.एम.जी.एस.वाय. सड़क से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (28) ग्राम कोटखर्रा से पेण्ड्रा तक पी.एम.जी.एस.वाय. सड़क से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (29) ग्राम गरवर से पेण्ड्रा को पी.एम.जी.एस.वाय. सड़क से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (30) नवागांव से झाबर को मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (31) ललानी से कपोटीपारा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (32) अड़भार से कुड़कई विकासखण्ड पेण्ड्रा को मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ योजना से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (33) आमाडांड से सोनबचरवार पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (34) पेण्ड्रा-बसंतपुर मुख्यमार्ग से पनकोटा पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (35) पेण्ड्रा-बसंतपुर मुख्यमार्ग से सरखोर मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (36) बचकवार से नवापारा विकासखण्ड पेण्ड्रा को ग्राम गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (37) रज्जुपारा से ग्राम गिरारी विकासखण्ड पेण्ड्रा को ग्राम गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (38) कुड़कई से बरघाट-झाबर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (39) बम्हनी से पचासीपारा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (40) जमड़ीबुर्द से बगेसरपारा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (41) पेण्ड्रा से बरपारा धनगवां सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (42) मुख्यमार्ग पेण्ड्रा-रतनपुर से लाटा पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (43) बस्ती से पूरा मार्ग का स्तरहीन निर्माण किया गया। कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
- (44) बारीउमराव से गांजन मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (45) सकोला से कंचनडीह मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (46) नवागांव से हर्राडीह पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (47) लटकोनी से रज्जुटोला मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (48) पेण्ड्रा से लटकोनी पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (49) जिल्दा से खरही मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (50) बेंदरचुवा से मुरमुर पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (51) घघरा मुख्य मार्ग से पड़रिया पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (52) आमाडांड मुख्य मार्ग से जारादेवरी मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (53) सिवनी मुख्य मार्ग से घुसरिया मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (54) सिलपहरी से साल्हेकोटा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (55) भरीडांड-अमेराटिकरा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (56) मटियाडांड से अमेराटिकरा मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (57) जिल्दा से बरौडीपारा पहुंचमार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (58) पेण्ड्रा-मरवाही मुख्य मार्ग से कुड़कई पहुंच मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (59) कोड़गार से कनईबहरा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (60) कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (61) गिरवर से पेण्ड्रा पहुंच मार्ग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (62) ग्राम दमदम से खोडरी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (63) कोड़गार से बम्हनी तक सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (64) करौंदानार से पीथमपुर तक सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (65) कोटमी से देवरीखुर्द सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (66) तेंदूपत्ता संग्रहरण दर 2500/- रूपये प्रति मानक बोरा किये जाने का उल्लेख नहीं है।

- (67) पौराणिक ग्राम धनपुर में रॉक गार्डन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (68) जामवंत परियोजनांतर्गत प्रोजेक्ट की पूरा राशि मरवाही वन मण्डल को देने का उल्लेख नहीं है।
- (69) बिलासपुर संभाग में हाथियों के उत्पात को रोकने के कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (70) दानीकुण्डी से मगुरदा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (71) कोरजा कुल्हनटोला से हरी रेल्वे स्टेशन पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (72) वेंकट नगर मुख्यमार्ग से दौंजरा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (73) चिकनी से लहसुना सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (74) जर्जर हो चुके आंगनबाड़ी केन्द्रों की जगह नये आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (75) आंगनबाड़ी केन्द्रों में बांटे जा रहे गुणवत्ताहीन पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता सुधारने का उल्लेख नहीं है।
- (76) गर्मी के दिनों में आंगनबाड़ी केन्द्र में ताजा व गुणवत्तायुक्त दूध बच्चों को उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (77) प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कुपोषण समाप्त करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (78) प्रदेश में महिला शक्तिकरण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (79) कृषि पम्प कनेक्शन हेतु किसानों को ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सरलकरण का उल्लेख नहीं है।
- (80) विद्युत विहीन मजरे टोलों में 2017 तक विद्युत पहुंचाने का उल्लेख नहीं है।
- (81) अस्थाई कनेक्शन लेकर सिंचाई पम्प चलाने वाले कृषकों को स्थाई कनेक्शन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (82) कृषि पम्प के लिये निःशुल्क विद्युत प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (83) बी.पी.एल. परिवार के एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (84) सिवनी से महरवाही सड़क के निर्माण हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (85) आमाड़ाड-बस्तीगरा मार्ग निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (86) कोरखर्रा से पेण्ड्रा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (87) सतोकपुर से पेण्ड्रा मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (88) कुदरी से नवागांव मार्ग निर्माण हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (89) अमरपुर-पेण्ड्रा मुख्य मार्ग से लटकोनी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (90) सिलपट्टी से बरगवां पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (91) सेमरदर्री-सकड़ा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (92) कोरजा से पण्डरीपानी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (93) अडभार से बगड़ी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (94) उमरखोई से कोरमीखुर्द पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (95) आर.एम.के.के. मुख्य मार्ग से बेलपत से डुगरा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (96) कोरजा से गांगपुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (97) सिलपट्टी से कोलबिर्रा पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (98) वर्ष 2002 की गरीबी रेखा सूची में शामिल सभी गरीब परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (99) धनपुर से पिपरिया मार्ग के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (100) हरी से चिकनी सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (101) अंधियार बोह से चिकनी गुम्माटोला मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (102) लालपुर से कोटखर्रा मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (103) बचरवार से बगड़ी मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।

- (104) सिवनी मुख्यमार्ग से बगड़ी मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (105) वेंकटनगर मुख्यमार्ग से भस्कुरा मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (106) मेढुका-बखासन-पिपरिया मार्ग में निम्नस्तर के नवीनीकरण किया गया है। कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
- (107) वेंकटनगर मुख्यमार्ग से पड़खुरी तक निम्नस्तर के नवीनीकरण किया गया है। कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
- (108) हर्राटोला से सतोकपुर मार्ग नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (109) मुख्यमार्ग आर.एम.के.के. रोड से जोगीसार मार्ग के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (110) सधवानी से जरहापारा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (111) मरवाही क्षेत्र के ग्राम तेंदूमुड़ा से कोरजा ग्रामीण सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (112) मरवाही क्षेत्र के ग्राम तेंदूमुड़ा से कन्हारी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (113) प्रदेश के शहरों में मच्छरों के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
- (114) कोटखर्रा से लखनवाही सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (115) धनौली पथराटोला से मेड़िया कछार सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (116) पंडखुरी से बखासन तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (117) भस्कुरा से मेढुका सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (118) गोरखपुर से बिजखार सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (119) रानीझाप से खोडरी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (120) देवरगांव से धौरामुड़ा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (121) अमरपुर से गांधीपुर सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (122) पण्डरीपानी से साल्हेघोरी सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (123) पण्डरीपानी से बेंदरापानी सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (124) अंधियारखोह से जहीबहरा सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (125) कोरजा से पण्डरीपानी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (126) भदौरा से सधवानी-आंदू सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (127) गिरारी से बदमटोला सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 66  
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 2,47,89,30,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अभनपुर विधान सभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग विकास अभिकरण के माध्यम से कोई भी विकास कार्यो की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कोंडागांव जिला मुख्यालय में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्राओं हेतु 100 सीटर कन्या छात्रावास खोलने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 68

### अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन

मतदेय राशि

रूपये 2,56,80,91,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

#### 1. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जर्जर स्कूलों की जगह नये पक्के स्कूल भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 941 एवं प्राध्यापकों के 271 पद भरे जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने पर उनके परिजनों को उचित मुआवजा भुगतान का उल्लेख नहीं है।
- (5) कृषकों को फसल बीमा राशि भुगतान का उल्लेख नहीं है।
- (6) मरवाही, पेण्ड्रा, गौरेला तहसील क्षेत्र के 2015-16 में सूखा पीड़ित किसानों में से मुआवजे से वंचित किसानों को मुआवजा देने का उल्लेख नहीं है।
- (7) मरवाही क्षेत्र के ग्राम कोरवा में हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (8) मरवाही क्षेत्र के उन्नत हाईस्कूल भवन अमारक के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (9) मरवाही क्षेत्र के ग्राम खुरपा में हाईस्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (10) मरवाही क्षेत्र के ग्राम कुदरी में हाईस्कूल भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (11) उन्नत हाईस्कूल के लिए भवन बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (12) शासकीय हाईस्कूल सरकारीपारा पेण्ड्रा में शिक्षकों का सेटअप स्वीकृत किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (13) प्रदेश में दिव्यांगों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की कोई अलग नीति का उल्लेख नहीं है।
- (14) सभी प्राथमिक शालाओं में अंग्रेजी विषय के शिक्षक भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (15) मरवाही क्षेत्र में नवोदय विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (16) शासकीय हाईस्कूल मुरमुर विकासखंड पेण्ड्रा को हायर सेकेण्ड्री स्कूल के रूप में उन्नत करने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (17) शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल में जहां अहाता नहीं है, वहां अहाता निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (18) गणवेश प्रदाय योजना में घोटाले के जांच कर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
- (19) मध्याह्न योजना में विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त भोजन देने के लिए कड़ाई से नियम पालन किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (20) मरवाही क्षेत्र के ग्राम लरकेमी में हाईस्कूल भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (21) 3000 से अधिक आबादी वाले मरवाही क्षेत्र के गांवों में स्टेडियम बनाने का उल्लेख नहीं है।

#### 2. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम कापू, विकासखंड धरमजयगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण को बजट में शामिल नहीं किया गया है।
- (2) ग्राम सोलामुड़ा, विकासखंड धरमजयगढ़ में प्री मैट्रिक छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम रूपूंगा, विकासखंड धरमजयगढ़ में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम कुडकेला, विकासखंड धरमजयगढ़ में बालक छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।



- (5) ग्राम बंगरजुला, विकासखंड धरमजयगढ़ में आश्रम शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) धरमजयगढ़ एवं घरघोड़ में संचालित महाविद्यालयों में अहाता निर्माण एवं सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) ग्राम महाराजगंज, विकासखंड धरमजयगढ़ में शासकीय कन्या आश्रम भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**3. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सुहेला में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 15

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को  
वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 5,87,82,55,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

त्रिस्तरीय पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए जिला पंचायत, जनपद सदस्यों एवं सरपंच पंचों को विकास कार्य हेतु अलग से राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 83

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय  
सहायता

मतदेय राशि

रूपये 73,46,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

इस मांग पर कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

## मांग संख्या— 27

### स्कूल शिक्षा

मतदेय राशि

रूपये 43,94,83,16,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक —20

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के स्कूलों में रिक्त पड़े लगभग 50,000 पदों पर भर्ती हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नगर निगम बिरगांव में कन्या शाला प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दतरेंगा में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तोरला एवं कठिया में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तोरला एवं सुन्दरकेरा के हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) अभनपुर, सिवनी, परसदा एवं तामासिवनी के उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर में सहायक अधीक्षक का पद श्रृजित करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त विकासखंडों में संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूल सुचारु संचालित करने हेतु प्राचार्य, प्रधानपाठक शिक्षक शिक्षाकर्मी की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोटा विकासखंड के ग्राम बख्दार एवं सांसद आदर्श ग्राम मिट्टू नवागांव में संचालित स्कूल का उन्नयन हायर सेकण्डरी स्कूल में करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम पंचायत उमरिया में अगस्त 2016 से शिक्षक पदस्थ नहीं है वहां के 12 वीं पास छात्रों को शिक्षाकर्मी बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) नगर पंचायत कोटा में नया शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री मोतीलाल देवांगन , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश में प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक एवं हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में प्राचार्य के पदों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवापारा, अमोदा एवं हड़हामुहान में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर – चांपा विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक शाला खैरवार हेतु शाला भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के बंद किए गए 3000 स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बालक एवं बालिका स्कूलों को बंद कर शिक्षा में गुणवत्ता के लिए एक साथ संचालित करने हेतु उल्लेख नहीं है।

**8. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ग्राम आलिवारा के माध्यमिक शाला का उन्नयन हाईस्कूल में करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम चिरचारि खुर्द के माध्यमिक शाला का उन्नयन हाईस्कूल में करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम गेरुघाट के माध्यमिक शाला का उन्नयन हाईस्कूल में करने का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री अमित अजित जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) शहरों में आबादी के अनुपात में स्कूलों के निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों हेतु शिक्षकों के पद भरने का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश में प्राथमिक शालाओं में साज-सज्जा हेतु सामग्री उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा की दृष्टि से अहाता निर्माण करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

**11. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश में संचालित शालाओं में शैक्षणिक पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के मॉडल स्कूलों की निजीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में समुचित शिक्षा उपलब्ध करने हेतु नवीन शिक्षा विद्यालय निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत धनगंवा एवं धनिया में हाईस्कूल से हायर सेकण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

**13. श्री केशव चन्द्रा सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के विधायक आदर्श ग्राम देवरघटा में हायर सेकण्डरी स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम देवरीमठ में पूर्व माध्यमिक शाला स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम बरेकेलखुर्द में पूर्व माध्यमिक शाला प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम बस्कूट में पूर्व माध्यमिक शाला प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम बेलाडुला में हायर सेकण्डरी स्कूल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम नोथिडीह में हायर सेकण्डरी स्कूल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर ग्राम रायपुरा में हायर सेकण्डरी स्कूल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम लखाली में हाईस्कूल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (9) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम झालरौंदा में हाईस्कूल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (10) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम परसदा में हाईस्कूल प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

**14. श्री बृहस्पत सिंह , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश में अध्ययनरत बालिकाओं को सायकल वितरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती किए जाने का उल्लेख नहीं है।

**15. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) रामपुर विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) रामपुर विधानसभा क्षेत्र के हाईस्कूलों का उन्नयन हायर सेकण्डरी में किए जाने का उल्लेख नहीं है।

**16. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के स्कूलों में समय पर गणवेश वितरण किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) लूण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती का उल्लेख नहीं है।

**17. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) शिक्षण संस्थाओं में शाला भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शिक्षण संस्थाओं में रिक्त शिक्षकों के पदों की पूर्ति का उल्लेख नहीं है।

**18. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) शासकीय हाई स्कूल जमरगा को हायर सेकण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम बहिरकेल्हा में संचालित हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

**19. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

गुण्डरदेही विधानसभा के एक मात्र जनभागीदारी से संचालित हाईस्कूल को शासकीयकरण किये जाने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

**20. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पिपरखार पूर्व माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

**21. श्री गिरवर जंधेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

शासकीय हाईस्कूल चंदैनी को हायर सेकण्डरी में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

**22. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) उच्चतर माध्यमिक शाला हीरापुर, मुलमुला, संबलपुर बड़ेबेंदरी, बुनागांव, किचईबालेंगा, जामकोट पारा में नवीन भवन की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्राथमिक शाला/माध्यमिक शाला रेडमुण्डा, ठेमगांव, बड़ेकंजोर, कुसमा, समरावण्ड, उमरगांव तथा माकड़ी का हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

**23. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) वर्ष 1997-98 से स्थापित भवन विहीन बालक आश्रम बिन्डों हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (2) वर्ष 1992-93 से स्थापित भवन विहीन बालक आश्रम कोनगुड हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (3) भवन विहीन बालक आश्रम मैनपुर हेतु भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) भवन विहीन कन्या आश्रम बनचपई हेतु भवन निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास सलना के जर्जर भवन हेतु नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) भवन विहीन प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास कुंवे हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) भवन विहीन प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास कोनगुड हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) भवन विहीन प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास केशकाल हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) भवन विहीन प्रोस्ट-मैट्रिक बालक छात्रावास केशकाल हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) भवन विहीन शासकीय हाईस्कूल पेन्द्रावन हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) माध्यमिक शाला भवन में संचालित, शासकीय हाई स्कूल कोसमी हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) भवन विहीन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगनपुर हेतु नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) भवन विहीन शासकीय हाईस्कूल कोहकामेटा हेतु नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) हाईस्कूल भवन में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरपुर हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) माध्यमिक शाला में संचालित शासकीय हाई स्कूल कबोंगा हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**24. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के शालाओं में दर्ज बच्चों की संख्या के अनुरूप पर्याप्त कमरों की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) स्कूली छात्र-छात्राओं को समय पर गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक वितरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के जर्जर शाला भवनों के स्थान पर नवीन एवं गुणवत्ता युक्त भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**25. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

हाईस्कूल ककईजार एवं डोकला हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**26. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अर्जुनी एवं चंगोरी हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम केराकछार के मिडिल स्कूल का हाईस्कूल में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।

**27. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश में अध्ययनरत बालिकाओं को सरस्वती सायकल वितरण समय पर करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में स्कूली छात्र-छात्राओं को समय पर गणवेश उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पूर्व माध्यमिक शाला खिलोरा, बिलाड़ी, खैरताल एवं खपरीकला हाईस्कूल में उन्नयन का उल्लेख नहीं है।
- (5) जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (6) जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में नवोदय विद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।



## मांग संख्या – 39

### खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 17,94,35,80,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 29

#### 1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में कृषि उत्पादों के भंडारण का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न उपलब्धता एवं वितरण की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश के राईस मिलरों से गुणवत्तायुक्त चावल समय-सीमा में जमा कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में खाद्यान्न योजना से संबंधित हितग्राहियों को समय पर समुचित खाद्यान्न की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

#### 2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों को धान का 2100 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का प्रावधान नहीं है।
- (2) किसानों को धान का 300 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने का प्रावधान नहीं है।
- (3) पात्र हितग्राहियों के राशनकार्ड घटने से रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 35 किलो चावल देने का उल्लेख नहीं है।

#### 3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अभनपुर क्षेत्र के फर्जी राशनकार्डों के माध्यम से कालाबाजारी करने वालों पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर क्षेत्र के हजारों परिवारों को अभी तक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- (3) प्रदेश में निरस्त किये गये राशन कार्डों की जांच करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में राशन कार्डधारकों को मिट्टी तेल एवं शक्कर नहीं मिल रहा है।
- (5) प्रदेश में दाल-भात केन्द्र लगभग बंद पड़े हैं।
- (6) अभनपुर क्षेत्र तथा रायपुर जिले में पात्र हितग्राहियों को 35 किलो के बदले सिर्फ 7 किलो चावल दिया जा रहा है।
- (7) प्रदेश में धान की कस्टम मिलिंग एवं परिवहन के कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है।

#### 4. श्री अरूण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों को धान का 2100 रूपये समर्थन मूल्य देने का प्रावधान नहीं है।
- (2) किसानों को धान का 300 रूपये बोनस देने का प्रावधान नहीं है।

#### 5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गरीबों को राशनकार्ड में 35 किलो चावल को बंद कर 7 किलो दिया जा रहा है। वृद्धि किये जाने एवं गरीबी रेखा का पुनः सर्वे कराने का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) खाद्य विभाग द्वारा राशन के चावल, दाल, मिट्टी तेल के वितरण में हो रही धांधली को रोकने एवं दंडात्मक कार्यवाही किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) गरीबों के काटे गये राशनकार्ड को पुनः चालू किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) गरीबों को 35 किलो चावल / राशनकार्ड देने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
- (4) काटे गये राशनकार्ड पुनः चालू करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से गेहूं एवं चना प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) गौरेला ब्लॉक के बस्ती बगरा सहित 7 ग्राम पंचायतें जहां मोबाईल टॉवर नहीं है, वहां केशलेस राशन वितरण नहीं हो रहा है। समुचित व्यवस्था किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (7) खाद्यान्न सुरक्षा अंतर्गत सभी परिवारों को 35 किलो राशन देने का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उचित क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

**8. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलरामपुर जिले के विकासखंड राजपुर में डबल लॉक खाद भंडारण केन्द्र (गोदाम) की स्थापना का प्रावधान नहीं है।

**9. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) पी.डी.एस. में की जा रही कालाबाजारी के समाधान कारक नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में पर्याप्त एवं समुचित भंडारण की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

**10. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालनकर्ताओं को दी जाने वाली कमीशन राशि की बढ़ोत्तरी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) छत्तीसगढ़ राज्य विपणन सहकारी संघ की बंद पड़ी राईस मिलों को प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालनकर्ताओं द्वारा खरीदी गई टेबलेट व थम्ब मशीन राशि दिये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन सस्ते दर पर प्रदाय किया जा रहा है, किन्तु उनके रिफिल के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) वर्ष 2002 के बीपीएल सर्वे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र जो सूची में है, को बीपीएल की सूची में शामिल किये जाने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) पंचायतों में खाद्यान्न भंडारण हेतु प्रत्येक पंचायत स्तर पर भवन निर्माण की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) सभी पंजीकृत किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (3) किसानों को धान पर 300 रूपये बोनस राशि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) राशन कार्ड से वंचित पात्र लोगों को नया राशन वितरण करने का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पी.डी.एस. योजना में गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 56

### ग्रामोद्योग

मतदेय राशि

रूपये 1,02,99,08,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 48

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के विकास के संबंध में दीर्घकालीन योजना का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापना का प्रावधान नहीं है।

3. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोसा क्षेत्र के हाथकरघा बुनकरों को भी शासकीय उत्पादन से जोड़ने का प्रावधान नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले के बुनकर बाहुल्य नगर चांपा में बुनकर आवास बनाया जावे।
- (3) चांपा में हेण्डलूम पार्क प्रारंभ करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश में आदिवासी अंचल के हस्तशिल्प कर्मियों के प्रशिक्षण की योजना बनाई जाये।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

5. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बेरोजगार नवयुवकों को उद्योग स्थापित कराने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में काष्ठ शिल्पियों को बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उनके द्वारा निर्मित काष्ठ शिल्प सामग्री का विक्रय करवाकर रोजगार से जोड़ा जा सके।

7. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में खादी बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 39,51,21,000

## बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

1. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधान सभा के सदस्यों के मदों (विधायक निधि) में वृद्धि करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधान सभा क्षेत्र विकास निधि 1 करोड़ को 2.50 करोड़ किये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधायक निधि की वर्तमान राशि में वृद्धि का प्रावधान नहीं है।

4. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधायकों की विधायक निधि बढ़ाने हेतु बजट में उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रुपये 1,99,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 23

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन किसानों को दिये गये पट्टे पर कृषि भूमि की हो रही बिक्री को रोकने का कोई अवैध उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 18

### श्रम

मतदेय राशि

रूपये 1,37,24,00,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 16

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के निजी क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक विकास का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के निजी क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों के हित संरक्षण से संबंधित कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के उद्योगों में श्रमिकों का भारी शोषण हो रहा है, न्याय दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) असंगठित एवं भवन सन्निर्माण कर्मकार श्रमिकों के पंजीयन कराने एवं हितग्राहियों की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

असंगठित श्रम मजदूरों के विकास के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

4. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

संगठित एवं असंगठित कर्मकारों का पंजीयन पश्चात् योजना का लाभ देने का उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या – 43**  
**खेल और युवक कल्याण**

मतदेय राशि

रूपये 72,69,52,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 09**

**1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के समुचित विकास की योजना का उल्लेख नहीं है।

**2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) वार्ड क्रमांक-52 (रायपुर नगर निगम) बोरियाखुर्द में खेल मैदान संरक्षण का प्रावधान नहीं है।
- (2) लालपुर (रायपुर नगर निगम) में खेल मैदान हेतु प्रावधान नहीं है।
- (3) रायपुर ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत फुंडहर देवपुरी में छात्रों के खेलकूद हेतु खेल मैदान का प्रावधान नहीं है।

**3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) अभनपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खोरपा, तोरला, तामासिवनी, चंपारण, टिकारी में मीनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) चांपा नगर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स हेतु प्रावधान नहीं है।

**5. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पेण्ड्रा नगर पंचायत, कोटा विकासखंड में शिवतराई ग्राम व बेलगहना ग्राम में स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं है।

**6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ग्राम चकिया में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम देवरी में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम तुरेगढ़ में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (4) ग्राम उमरवाही में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी में स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

**7. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

सामरी विधान सभा क्षेत्र के घोरवाडा, लामु, भेटली, खोडमे, भेलाईखुर्द, पतरपारा, अमर्दरा में खेल मैदान निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।

8. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्रामीण एवं परम्परागत कबड्डी व कुश्ती खेल को प्रोत्साहित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में टेनिस कोर्ट निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधायक आदर्श ग्राम सरोरा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश की सभी पंचायतों में खेल मैदान को सुरक्षित करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कचांदुर व ग्राम देवरी बंगला में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम पंचायत हाटी में खेल मैदान निर्माण हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

12. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के खेलने हेतु मैदान बनाने एवं स्टेडियम बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) गौरला, पेण्ड्रा, मरवाही क्षेत्रों में राजीव गांधी खेल मैदान बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

13. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम छपोरा, कुरदा, पिपरीद, बडेसीपत, कचन्दा, बलोदुला, तुषार, कैथा, घिवरा, मल्दा, बम्नीडीह में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

14. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मस्तुरी विकासखंड की ग्राम पंचायत देवरी में व्यायाम शाला निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) मस्तुरी विधान सभा में स्टेडियम निर्माण हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

15. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध करे का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (2) कौंडागांव जिले में इंडोर हॉल, स्वीमिंग पुल, जिला स्टेडियम का निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिभा प्राप्त खिलाड़ियों को सम्मान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

16. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खिसोरा (बलौदा) में मिनी/इंडोर स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

17. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

युवाओं के खेलकूद के लिए ग्रामीण क्षेत्र जहां 3000 की जनसंख्या से ज्यादा आबादी है वहां खेल का मैदान एवं स्टेडियम निर्माण कराये जाने का उल्लेख नहीं है।